

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०-अ०सां०नि०/स्था०17-07/2021

69

/पटना, दिनांक:- 27.2.23

कार्यालय आदेश

श्री शिवजी कुमार भट्ट, तत्कालीन अंचल अधिकारी, टेढ़ागाछ, किशनगंज संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी के विरुद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-333(15)/रा० दिनांक-08.06.2021 के साथ संलग्न जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज के पत्रांक-190/जि०रा० दिनांक-01.02.2021 द्वारा राजस्व कार्यों के निष्पादन में अभिरुचि नहीं लेने, खासकर ऑल लाईन दाखिल-खारिज मामले के निष्पादन में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने, समीक्षा के क्रम में 60 से अधिक दिनों से अकारण लंबित मामलों की संख्या 2014 पाये जाने जो जिले के सर्वाधिक लंबित मामले हैं, मामले को लंबित रखने के बारे में पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिये जाने, पूर्व के मासिक बैठकों में भी ऐसे सभी लंबित मामलों का अभियान के तौर पर निष्पादित करने हेतु निदेशित करने के बाद भी इसमें कोई अभिरुचि लेने एवं मामले को यथावत् लंबित रखने संबंधी आरोप पर समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०-243 सहपठित ज्ञापांक-1302 दिनांक-13.10.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्ता(विभागीय जाँच), किशनगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा जिला पदाधिकारी, किशनगंज से इस विषय के संबंध में जानकारी रखने वाले पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। समाहर्ता, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक-650/जि०रा० दिनांक-24.08.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, टेढ़ागाछ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। समाहर्ता, किशनगंज के पत्रांक-36/जि०रा० दिनांक-12.01.2022 द्वारा जिला में अपर समाहर्ता(विभागीय जाँच) का पदस्थापन नहीं होने की सूचना देते हुए अपर समाहर्ता (राजस्व), किशनगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०-91 सहपठित ज्ञापांक-370 दिनांक-28.02.2022 के द्वारा अपर समाहर्ता (राजस्व), किशनगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्ता, किशनगंज -सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1165/जि०रा० दिनांक-06.07.2022 द्वारा श्री शिवजी कुमार भट्ट के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य निम्नवत् है :-

“ आरोपी पदाधिकारी का यह अभिकथन है कि दिनांक-14.02.2020 की आयोजित बैठक में जिला पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा के क्रम में दाखिल खारिज की प्रगति अंसतोषजनक पाये जाने पर